



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3124]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939

No. 3124]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

का.आ. 3564(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा गठित बोर्ड, “तेलंगाना बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड” को, उसे होने वाली निम्न विशिष्ट आय के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है, यथा:—

- (क) प्राप्त उपकर;
 - (ख) बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्करों से संग्रहित पंजीकरण और नवीकरण फीस;
 - (ग) जमा राशि पर प्राप्त ब्याज।
2. यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी कि तेलंगाना बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड:-
- (क) किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपरिवर्तनीय रहेगी; और
 - (ग) यह आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 95/2017/फा. सं. 300196/23/2017-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक